



राज्य. नं. एन. डब्ल्यू./एन०. पी. 890

साहस्रसंख्या नं. डब्ल्यू. पी.-41

लाइसेंस नं. एन. एंड. एन. डब्ल्यू. पी. 890

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनिपत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 मई, 1997

वैशाख 11, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़े वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 11 एन० एन०/64-1-96-100-95

लखनऊ, 1 मई, 1997

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० नं०--573

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:--

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची, एक में, प्रविष्टि 55 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"50 राम तिरथ"

आज्ञा से,
के० पी० सिंह,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11 M. M./LXIV-1-96-100-95, dated May 1, 1997:

No. 11 M. M./LXIV-1-96-100/95

Dated, Lucknow : May 1, 1997

IN exercise of the powers under section 13 of Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U. P. Act no. 4 of 1994) the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule 1 of the aforesaid Act :—

AMENDMENT

In Schedule 1 of the aforesaid Act, after entry 55, the following entry shall be inserted, namely :—

"56-Raj Sikh"

By Order,
K. P. SINGH,
Sachiv.